संदिग्ध दायित्व निवारण योजना
जिलों के लिए अनाबद्ध राशि

मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय

क्रमांक–एफ 23–7/96/25/4 भोपाल, दिनांक 1–3–96

प्रति,

संचालक,
अनुसूचित जाति विकास,
मध्यप्रदेश भोपाल.

विषय–– अनुसूचित जातियों के लिए संदिग्ध दायित्व निवारण योजना की स्वीकृति.

अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं विकास हेतु अनेक प्रकार के विकास कार्यक्रम बड़े पैमाने पर संचालित किए जा रहे हैं. विकास की गति तेज होने के साथ–साथ अनुसूचित जातियों के सामने की समस्याएं आ रही हैं. उदाहरणार्थ कभी किसी अनुसूचित जाति के सदस्य को ऋण नहीं मिलता और उन पर वसूली निकाल दी जाती है. कहीं लेखा–जोखा ठीक से नहीं रखे जाने के कारण भी संबंधित अनुसूचित जाति के सदस्य के नाम के विरुद्ध दनेदारी निकाल दी जाती है और कई और कार्यक्रमों में विभिन्न विभागों द्वारा बिना यह देखे कि अनुसूचित जाति के सदस्यों को योजना का वास्तविक लाभ मिला अथवा नहीं, उसके ऊपर देनदारी शुरू हो जाती है.

2. विकास के इस दौरे में जब तक अनुसूचित जाति समाज औपचारिक तथा जटिल अर्थव्यवस्था की कार्यविधि से परिचित नहीं हो जाता. उसे अनजाने और अनचाहे दायित्व से बचाने के लिये सशक्त संस्थाओं और सरल अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्यों के मध्य दायित्वों संबंधी विवादास्पद मामलों की ऊंचे स्तर पर निराकरण के लिये व्यवस्था करना आवश्यक है. ऐसे सभी प्रकरणों में प्रशासकीय व्यवस्थाओं की पेचीदगी की जानकारी अनुसूचित जाति के सदस्यों को नहीं होने के कारण अनावश्यक देनदारी का भार वहन न करना पड़े अतएव, शासन अनुसूचित जाति के लिये संदिग्ध दायित्व निवारण योजना की स्वीकृति प्रदान करता है. योजना एवं नियम की प्रति संलग्न है.

3. ये नियम संपूर्ण प्रदेश में लागू होंगे. जब तक किसी अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्य को संबंधित कार्यक्रम से वांछित लाभ नहीं मिलने लगे, उस पर किसी प्रकार का दायित्व नहीं होगा. परंतु यदि कोई कार्यक्रम हितार्थी की बदनीयती के कारण संभव नहीं हुआ तो उसका दायित्व हितार्थ पर ही माना जावेगा. ऐसी स्थिति में बदनीयती सिद्ध करने का दायित्व संबंधित संस्था पर होगा. यदि किसी संस्था और अनुसूचित जाति

मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय

क्रमांक-एफ 23-7/96/25/4 भोपाल, दिनांक 1-3-96

प्रति,

संचालक,
अनुसूचित जाति विकास,
मध्यप्रदेश भोपाल.

विषय-- अनुसूचित जातियों के लिए संदिग्ध दायित्व निवारण योजना की स्वीकृति.

अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं विकास हेतु अनेक प्रकार के विकास कार्यक्रम बड़े पैमाने पर संचालित किए जा रहे हैं. विकास की गति तेज होने के साथ-साथ अनुसूचित जातियों के सामने की समस्याएं आ रही हैं. उदाहरणार्थ कभी किसी अनुसूचित जाति के सदस्य को ऋण नहीं मिलता और उन पर वसूली निकाल दी जाती है. कहीं लेखा-जोखा ठीक से नहीं रखे जाने के कारण भी संबंधित अनुसूचित जाति के सदस्य के नाम के विरुद्ध दनेदारी निकाल दी जाती है और कई और कार्यक्रमों में विभिन्न विभागों द्वारा बिना यह देखे कि अनुसूचित जाति के सदस्यों को योजना का वास्तविक लाभ मिला अथवा नहीं, उसके ऊपर देनदारी शुरू हो जाती है.

2. विकास के इस दौर में जब तक अनुसूचित जाति समाज औपचारिक तथा जटिल अर्थव्यवस्था की कार्यविधि से परिचित नहीं हो जाता. उसे अनजाने और अनचाहे दायित्व से बचाने के लिये सशक्त संस्थाओं और सरल अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्यों के मध्य दायित्वों संबंधी विवादास्पद मामलों की ऊंचे स्तर पर निराकरण के लिये व्यवस्था करना आवश्यक है. ऐसे सभी प्रकरणों में प्रशासकीय व्यवस्थाओं की पेचीदगी की जानकारी अनुसूचित जाति के सदस्यों को नहीं होने के कारण अनावश्यक देनदारी का भार वहन न करना पड़े अतएव, शासन अनुसूचित जाति के लिये संदिग्ध दायित्व निवारण योजना की स्वीकृति प्रदान करता है. योजना एवं नियम की प्रति संलग्न है.

3. ये नियम संपूर्ण प्रदेश में लागू होंगे. जब तक किसी अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्य को संबंधित कार्यक्रम से वांछित लाभ नहीं मिलने लगे, उस पर किसी प्रकार का.दायित्व नहीं होगा. परंतु यदि कोई कार्यक्रम हितार्थी की बदनीयती के कारण संभव नहीं हुआ तो उसका दायित्व हितार्थ पर ही माना जावेगा. ऐसी स्थिति में बदनीयती सिद्ध करने का दायित्व संबंधित संस्था पर होगा. यदि किसी संस्था और अनुसूचित जाति के सदस्य के बीच किए गए अनुबंध के अंतर्गत हितार्थी को दायित्व स्वीकार करने में कोई आपत्ति है तो आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग इस मामले में एक आवश्यक पक्षकार बन जाएगा और दायित्व का अंतिम निराकरण संबंधित संस्था और आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के बीच निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक होगा. दायित्वों के निर्धारण के लिए प्रत्येक जिले में एक समिति का गठन किया जावेगा.

4. कोई भी अनुसूचित जाति का सदस्य उसके ऊपर आने वाले दायित्व के संबंध में दायित्व निर्धारण समिति को लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, साथ ही यदि आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अथवा किसी अन्य विभाग के अधिकारी को यह बात मालूम होती है कि दायित्व संदिग्ध है तो वह अधिकारी समिति के समक्ष कोई भी प्रकरण अथवा प्रकरणों के समूहों को प्रस्तुत कर सकेगा. यह प्रस्तुतीकरण सरलतम रूप से सादे कागज पर लिखा जा सकता है. सरसरी तौर पर यदि दायित्व असंगत या संदिग्ध लगता है तो समिति उसके संबंध में वसूली इत्यादी की कार्यवाही रोकने में सक्षम होगी.

5. असंगत या संदिग्ध दायित्वों के संबंध में अंतिम निर्णय होने तक यह माना जाएगा कि अनुसूचित जाति के सदस्य का कोई दायित्व नहीं है और उसे विभिन्न कार्यक्रमों में लाभ उसी प्रकार से मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, जैसे उस पर कोई दायित्व शेष नहीं है.

6. ऐसे मामलों में, जहां कार्यक्रम एक से अधिक विभाग में तालमेल के अभाव के कारण असफल रहे हैं, वहां हितार्थी पर कोई दायित्व नहीं आएगा. संबंधित विभाग अपनी देनदारी के अपलेखन के लिए कार्यवाही करेगा. जिला तथा राज्य स्तरीय समिति द्वारा अपलेखन की गई राशियों की पूर्ति संदिग्ध दायित्व निर्धारण निधि से की जावेगी.

7. ऐसे मामलों में, जहां कार्यक्रम का लाभ हितार्थी को जानबूझकर त्रुटि करने अथवा कुचेष्टा के कारण नहीं मिल रहा है वहां समिति, व्यक्ति पर देनदारी हेतु संबंधित संस्था पूर्ववत कार्यवाही कर सकेगी.

8. जिला स्तरीय समिति को रु. 2,000/- प्रति प्रकरण तथा राज्य स्तरीय समिति बजट प्रावधान की सीमा तक संदिग्ध दायित्वों के अपलेखन के लिये सक्षम होगी.

9. योजना का प्रचार-प्रसार किया जाकर अधिक से अधिक अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्यों को लाभ पहुंचाने की कार्यवाही की जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(अजय सिंह यादव)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति एवं अनु. जाति कल्याण विभाग.

मध्यप्रदेश शासन,

मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति संदिग्ध दायित्व निवारण योजना-1995

विकास के दौर में जब तक अनुसूचित जाति समाज औपचारिक तथा जटिल अर्थ व्यवस्था की कार्यविधि से परिचित नहीं हो जाता, उसे अनजाने और अनचाहे दायित्व से बचाने के लिए तथा सशक्त संस्थाओं और सरल अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्यों के मध्य दायित्वों संबंधी विवादास्प्रद मामलों की ऊंचे स्तर पर निराकरण के लिये व्यवस्था करना आवश्यक है. अतएव, म. प्र. अनुसूचित जाति संदिग्ध दायित्व निवारण योजना-1995 बनाए गए हैं. ये नियम संपूर्ण मध्यप्रदेश में लागू होंगे.

2. प्रदेश में विभिन्न शासकीय तथा अर्द्धशासकीय संस्थाओं के द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों से विभिन्न प्रकार के अनुबंधों के आधार पर होने वाले दायित्वों का निर्धारण इन नियमों के अंतर्गत किया जाएगा.

3. किसी भी अनुबंध के अंतर्गत दायित्व निर्धाण करने में मूल धारणा यह होगी कि जब तक किसी अनुसूचित जाति को संबंधित कार्यक्रम से वांछित लाभ न मिलने लगे उस पर किसी प्रकार दायित्व नहीं आना चाहिए.

परन्तु यदि कोई कार्यक्रम हितार्थी की बदनीयती के कारण न सफल हुआ हो तो उसका दायित्व हितार्थी पर ही माना जाएगा. इस अवस्था में बदनीयती सिद्ध करने का दायित्व संबंधित संस्था पर होगा.

4. उपरोक्त मूलभूत सिद्धांत के संदर्भ में किसी भी संस्था और सामान्य अनुसूचित जाति के बीच किए गए अनुबंध के अंतर्गत यदि हितार्थी को दायित्व स्वीकार करने में कोई आपत्ति है उस मामले में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग एक आवश्यक पक्षकार बन जाएगा और दायित्व का अंतिम निराकरण संबंधित संस्था और आदिम जाति कल्याण विभाग के बीच में निर्धारित प्रक्रिया के मुताविक होगा.

5. संदिग्ध दायित्वों के निर्धारण के लिए प्रत्येक जिले में एक समिति होगी, जिसका गठन निम्नानुसार होगा:--

(1)	जिलाध्यक्ष	अध्यक्ष
(2)	सहकारिता विभाग, कृषि विभाग, राज्य विद्युत मंडल, केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा जिले में कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंकों के (सभी बैंकों के लिए) प्रतिनिधि.	सदस्य
(3)	जिला संयोजक/सहायक आयुक्त, आ. जा. क.	सदस्य सचिव.

6. प्रदेश में दायित्व निर्धारण का कार्यवाही की समीक्षा एवं मार्गदर्शन के लिये एक स्थायी समिति गठित होगी, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव अथवा अवर मुख्य सचिव होंगे और जिसमें वित्त विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, कृषि विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग के प्रतिनिधि सदस्य होंगे. संचालक, अनुसूचित जाति विकास उसके सचिव होंगे.

7. कोई भी अनुसूचित जाति उसके ऊपर वाले दायित्व के संबंध में दायित्व निर्धारण समिति को लिखित में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकता है. इसके साथ ही यदि आदिम जाति कल्याण विभाग अथवा किसी अन्य विभाग के अधिकारी को अपने आप यह ज्ञात होता है कि कोई दायित्व संदिग्ध है तो यह भी समिति के समक्ष कोई प्रकरण विशेष अथवा प्रकरणों के समूह की प्रस्तुत कर सकता है. यह प्रस्तुतीकरण सरलतम रीति से सादे कागज पर लिखा जा सकता है और उसके प्रकार की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होगी.

8. सरकारी तौर पर तथ्यों को देखने से यदि दायित्व असंगत या संदिग्ध लगता है तो उसके संबंध में वसूली इत्यादी की कार्यवाही रोकने के लिये सक्षम होगी.

9. नियम 7 के अंतर्गत प्रथम दुष्टता असंगत या संदिग्ध दायित्वों के संबंध में अंतिम निर्णय होने तक यह माना जाएगा कि अनुसूचित जाति के ऊपर कोई दायित्व नहीं है और उसे विभिन्न कार्यक्रमों के लाभ उसी प्रकार से मिलने प्रारंभ हो जाएंगे जैसे कि उस पर कोई दायित्व शेष नहीं है.

10. संबंधित संस्था से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उस प्रार्थी के विरुद्ध दायित्व की राशियों की यदि आवश्यकता हो तो अस्थाई तौर पर एक सप्सेन्स एकाउंट में डाल दें.

11. उन मामलों में जहां पूरी छानबीन के बाद दायित्व पूर्ण रूप से फर्जी साबित होता है और उसमें शासन अथवा किसी संस्था के कर्मचारी का हाथ हो तो संबंधित संस्था के द्वारा उस व्यक्ति की अनावश्यक झगड़े के लिए क्षतिपूर्ति की जाएगी, जिसका निर्धारण दायित्व समिति ही करेगी.

12. उन मामलों में, जहां कार्यक्रम एकाधिक विभाग में तालमेल के अभाव के कारण असफल रहा है. हितार्थी पर दायित्व नहीं आएगा. संबंधित विभाग अपनी देनदारी के अपलेखन के लिये कार्यवाही करेगा. यदि उस संबंध में कोई सैद्धांतिक मामला उठाया जाता है तो उसे राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखा जाएगा. जिसका निर्णय अंतिम होगा.

13. जहां पर कार्यक्रम का लाभ हितार्थी को किसी सामान्य त्रुटि के कारण नहीं मिला है उन मामलों में भी जानबूझकर त्रुटि न करने की दशा में उन पर दायित्व नहीं आएगा उससे पहले उस दायित्व की राशि को संबंधित संस्था अपने सामान्य नियमों के अनुसार अपलेखन के लिये उपयोग किया जायेगा. यदि अपलेखन के लिये संपूर्ण राशि इस रिजर्व से अधिक होता है तो मामला दायित्व समिति को सौंपा जाएगा. ''वास्तविक निर्धारण समिति प्रत्येक मामले में 2000/- रुपए तक की राशि तथा पूरे वर्ष में बजट से उसके लिये आवंटित राशि का अपलेखन करने के लिये सक्षम होगी.'' इससे अधिक की राशि के एकजाई प्रकरण बनाकर राज्य स्तरीय समिति को सौंपे जाएंगे, जो उनका अपलेखन कर सकें.

14. जिला अथवा राज्य स्तरीय समितियों द्वारा अपलेखन की गई राशियों की भरपाई संदिग्ध दायित्व निर्धारित निधि से पूरी की जाएगी.

15. उन मामलों में, जहां कार्यक्रम का लाभ हितार्थी की जानबूझकर त्रटि अथवा उसकी कुचेष्टा का परिणाम है, संबंधित व्यक्ति पर देनदारी फिर से आयद हो जाएगी और संबंधित कुचेष्टा का परिणाम है, संबंधित व्यक्ति पर देनदारी फिर से आयद हो जाएगी और संबंधित संस्था उसके खिलाफ पूर्ववत कार्यवाही कर सकेगी.

16. प्रत्येक जिला दायित्व निर्धारण समिति साल की कार्यवाही की समीक्षा कर अपनी अनुशंसा के साथ राज्य स्तरीय समिति की एक प्रतिवेदन अप्रैल के अंत तक भेजेगी. राज्य स्तरीय समिति जून के अंत तक राज्य सरकार को पूरे राज्य की एकजाई प्रतिवेदन अपनी अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करेगा. यह प्रतिवेदन अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल के समक्ष भी सूचनार्थ रखा जाएगा.

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आदिम जाति एवं अनु. जाति कल्याण विभाग.

कार्यालय, अनुसूचित जाति विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक–अनु. जा./वि./यो/92/1/124/5148

भोपाल, दिनांक 30-12-92/24-11

प्रति,

समस्त जिलाध्यक्ष,
(मध्यप्रदेश)

विषय:--जिलों के लिये अनाबद्ध राशि के संबंध में निर्देश.

विशेष घटक योजना (मांग संख्या–64) का उद्देश्य है कि ''अनुसूचित जातियों के सीधे लाभ की योजनाओं पर पूर्णत: व्यय हो.'' परन्तु पिछले कई वर्षों से अनुभव हो रहा है कि विशेष घटक योजना के अन्तर्गत प्रावधानित राशि का उपयोग अनुसूचित जाति के सीधे लाभ की योजनाओं में संतोषजनक रूप से नहीं हो पा रहा है.

2. अत: वर्ष 1992–93 में प्रथम बार निम्नलिखित नवीन व्यवस्था लागू की जा रही है. विशेष घटक योजना का विशेष केन्द्रीय सहायता का बड़ा अंश जिलेवार अनुसूचित जाति की आबादी के आधार पर संलग्न प्रपत्र के अनुसार अनाबद्ध राशि के रूप में दिया जा रहा है. इसकी ''आयोजना तथा उपयोग जिला स्तर पर ही शासन द्वारा जारी'' निम्न निर्देशों का पालन करते हुए किया जावे.

3. यह अनाबद्ध राशि विशेष केन्द्रीय सहायता मद से उपलब्ध कराई जा रही है. यह ''राशि पूरक राशि विशेष सहायता मद से उपलब्ध कराई जा रही है. यह ''राशि पूरक राशि के रूप में ही उपयोग की जा रही सकेगी. सर्वप्रथम राज्य आयोजना मद से उपलब्ध राशि योजना पर व्यय की जावे. यदि यह राशि कम पड़ती है तब योजना पूर्ण करने के उद्देश्य से पूरक राशि के रूप में इस मद से उपलब्ध कराई जा रही राशि का उपयोग किया जावे.'' यथा संभव ऐसी योजनाओं पर राशि व्यय की जाये जो ''वर्ष विशेष में ही पूर्ण'' की जा सकें तथा अनावर्ती स्वरूप की हों. यह नहीं समझा जाये कि वह राशि ही मात्र स्त्रोत है जिससे अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रमों का संचालन किया जाना है.

4. इन कार्यक्रमों के लिये जैसा कि मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक–एफ–3/7/92/3/25, दिनांक 15–7–92 में उल्लेख किया गया है विभिन्न विकास विभागों की मांग संख्या–64 के अन्तर्गत उपलब्ध आवंटन तथा इसके अतिरिक्त जवाहर रोजगार योजना जिला तथा पंचायत सेक्टर की राशि तथा जिला विकास योजना मंडल की राशि का उपयोग इन विकास कार्यों के लिये किया जाना आवश्यक है. कृपया अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई अनाबद्ध राशि के उपयोग करते समय इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे तथा वह सुनिश्चित किया जावे कि उपरोक्त विभिन्न स्त्रोतों की राशि को जोड़कर अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम का संचालन हो सके.

5. राशि के उपयोग के लिये जिले का कार्य योजना जिला स्तर पर तैयारी की जावे तत्पश्चात कार्य योजना का अनुमोदन जिला योजना मंडल की अनुसूचित जाति, जनजाति विकास हेतु गठित की गई उप समिति द्वारा किया जावेगा तथा कलेक्टर पुष्टि करेंगे कि योजना शासन के निर्देशों के अनुरूप है.

6. केवल निम्नलिखित योजना में ही अनुसूचित जाति विकास अनाबद्ध राशि का उपयोग किया जा सकता है.

(क) सर्वोच्य ''प्राथमिकता अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं (पेयजल, अतिरिक्त सड़क/खरंजा, जलमल निकासी, सार्वजनिक शौचालय तथा प्राथमिक शाला भवन, सामुदायिक भवन) प्रदान करने पर ही दी जावेगी. प्रथम चरण में यह योजनाएं केवल ऐसे ग्राम मजरे/टोले तथा नगरीय बस्तियों में न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं प्रदान के लिये ली जा सकेगी जिनमें अनुसूचित जाति की आबादी 80 प्रतिशत या उससे अधिक हो. नगरीय बस्तियों में प्रथम चरण में ''सफाई कामगार बाहुल्य बस्तियों में न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं'' उपलब्ध कराने के कार्यक्रम लिये जा सकेगें. इन बस्तियों में इन सुविधाओं को प्रदान करने के उपरांत अन्य ''नगरीय गंदी बस्ती जिसमें 80 प्रतिशत या इससे अधिक अनुसूचित जाति आबादी हो,'' में न्यूनतम बुनियादी सुविधायें प्रदान करने के कार्यक्रम लिये जावें. किसी भी जिले में ऐसे समस्त ग्राम मजरे/टोले तथा बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की

कार्यवाही जब पूर्ण रूप से सम्पन्न हो जावेगा, उसके बाद ही ऐसे ग्राम, मजरे/टोले तथा नगरीय बस्तियों में यह कार्यक्रम लिये जा सकेंगे जिनमें 50 प्रतिशत या उससे अधिक अनुसूचित जाति की आबादी रहती है. इसके अतिरिक्त किसी भी ग्राम अथवा नगरीय बस्ती में यह योजनाएं लेना पूर्णत: वर्जित है.

(ख) छात्रावास तथा आश्रमों में शासन तथा संचालनालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप सामग्री प्रदाय तथा बदलाव.

(ग) छात्रावास तथा आश्रमों के लिये पुस्तकालय तथा खेलकूद सामग्री का प्रदाय.

(घ) ऐसी अनुसूचित जाति कन्याओं को गणवेश प्रदाय जिन्हें शिक्षा विभाग से गणवेश नहीं प्राप्त हो रहा है.

(ड) जल जीवन के अन्तर्गत अनुसूचित जाति लघुकृषक समूहों के लिए सामूहिक सिंचाई योजनायें.

(च) नव जीवन आवास योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में आवासहीन अनुसूचित जाति परिवारों के बसाहट हेतु अविकसित भूमि का मूल्य अनुदान के रूप में प्रदाय करना.

(ङ) स्वालम्बन योजना के अंतर्गत दुकान निर्माण.

यह पुन: स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों के अंतर्गत ''जिला योजना मंडल की अनुसूचित जाति विकास उप समिति द्वारा जिला योजना के प्रस्ताव अनुमोदित किये जावेगें.'' संचालक, अनुसूचित जाति विकास तथा संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाओं को प्रतियां भेजी जावेगी और ''वे पुष्टि करेगें कि जिला अनुसूचित जाति कल्याण योजना शासन निर्देशों तथा अनुसूचित जाति के सीधे हित में देने के सिद्धंतों के अनुरूप है. राशि निकाल कर किसी भी रूप में नहीं रखी जावेगी इस अनाबद्ध राशि के संबंध में प्रशासकीय तथा तकनीकी स्वीकृति के नियम जिला योजना मंडल के अनाबद्ध राशि के अनुरूप ही रहेगा.'' अंतर केवल यह रहेगा कि जो अधिकार ज़िला योजना मंडल के हैं वे जिला योजना मंडल की अनुसूचित जाति विकास उप समिति के होगें तथा जो अधिकार जिला योजना अधिकारी के हैं वे अधिकार जिला संयोजक के पास रहेंगे.

अंत में अनुरोध है कि कृपया विशेष घटक योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता की प्राप्त राशि जो प्रथम बार जिला स्तर पर अनाबद्ध राशि रूप में प्रदत्त किया जा रहा है, का उपयोग शासन के निर्देशों के अनुरूप अनुसूचित जाति के सीधे हित की योजनाओं के लिए प्राथमिकता पर कराने की कृपा करें.

संलग्न:-- उपरोक्तानुसार.

संचालक
अनुसूचित जाति विकास
मध्यप्रदेश.

Annexure-1

SECTORWISE SCHEMES WHICH MAY BE EXCLUSIVELY FINANGED FORM SPECIAL CENTRAL ASSISTANGE.

(Ref; D. O. No. 20011//85-TDB dated 8/11-2-1985 from Shri D. N. Tewari, Director, Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi, Addresed to Shri O. P. Mehra, Secretary to Govt., Madhya Pradesh,Tribal, Harijan & Bacdward Classes Welfare Deptt., Bhopal.)

AGRICULTURE;

1.Maize Development
2. Intensive Oil Sedds Production
3.Promotion of cottion in se;ected areas
4. Intensive pulses production

HORTICULTURE;

1.Distribut of hardy fruit plants such as jack-fruit, Guava, Mango, Aonla Tamarind etc.
2. Training of tribal youths in grafting/buding
3. Supaly of fruit grafts and plants
4. Demonstration of commercially important species
5. Promotion of vegetables and tuber production
6. Mushrooms cultivations

ANIMAL HUSBANDRY;

1. Distribution of milch Animals
2. Distribution of pigs
3. Distribution of bullocks

FISHERIES;

1. Training of gribaks in fishery technology
2. Suplly of boats and nets to fishermen cooperative society.

FORESTS;

1. Training of tribals for serving in forest department
2. Help to tribals for fencing of their homested (Bariland) by Jatropha plant
3. Distribution of fruit, fodder and fuel wood yielding seedings to the tribals
4. Development of Gams farms for supply of animal protein to the tribal
5. Development of raw material for cottage industries
6. Scions for Government of timbor treo grovenor owned by tribals
7. Schemes for absorption of tribals in forest produce transport
8. Development of oil seeds of tree origin
9. Development of forest villagers
10. Development of shifthing cultivators

COOPERATION;

1. Processirng cooperatives for agricultrral and forest based industries
2. Establishment of tribal labour cooperatives
3. Tribals farming cooperatives

COTTAGE & VILLAGE INDUSTRIES;

1. Handicrafts
2. Handlooms
3. Bell-metal industries.

आदिम जाति कल्याण विभाग

योजना/परियोजनावार विशेष केन्द्रीय सहाय

का आबंटन, प्रथम चार माह का

(1-4-91 से 31-7-91)

मांग संख्या-41

विभाग-17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राशि हजारों में)

1. आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति केन्द्रीय विकास प्राधिकरण इन्दौर

क्रमांक	परियोजना का नाम	योजना का क्रमांक एवं नाम लेखा शीर्ष 2210 योजना क्रमांक 1518 जीवन ज्योति चलित औषधालयों की स्थापना
1	2	3
1.	झाबुआ	167
2.	अलिराजपुर	83
3.	धार	83
4.	कुक्षी	167
5.	खरगोन	84
6.	बड़वानी	83
7.	महेश्वर	83
	योग. .	750

आदिम जाति कल्याण विभाग

योजना/प्राधिकरण परियोजना/माडा/पाकेटवार विशेष केन्द्रीय सहायता

का आवंटन-प्रथम-चार माह का 1-4-91 से 1-7-91 तक) मांग संख्या-41 (राशि हजारों में)

विभाग-23 आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण इन्दौर
योजना का क्रमांक एवं नाम

क्र.	माडा पाकेट	लेखा शीर्ष 2225		लेखा शीर्ष 2225		लेखा शीर्ष 2225		लेखा शीर्ष 2225		लेखा शीर्ष 2225		लेखा शीर्ष 2225		लेखा शीर्ष 2225		लेखा शीर्ष 2225		योग
		यो. क्र. 493	आश्रम	यो. क्र. 1397	छात्रावास	यो. क्र. 978	क्रीड़ा परिसर	यो. क्र. 9819	विशेष पिछड़े अ. समूह अभिकरण	यो. क्र. 1017	क्षेत्रीय विकास परि. में स्थानीय विकास कार्य	यो. क्र. 9840	शैक्षणिक संस्था के भवन का निर्माण	यो. क्र. 9848	आश्रम भवन निर्माण	यो. क्र. 9841	ओ.प्रशि. छात्रा भवन	(3 से 10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
8.	महेश्वर	244	..	65	..	..	..	..	..	56	..	396	..	420	..	1181		
9.	खण्डवा	377		160	..	..	..	..	..	166	..	..	..	..	..	711		
	योग. .	4745	..	2982	152	..	..	..	..	1454	..	2422	..	2520	334	14609		
(ब)	माडा पाकेट																	
1.महू		93	..	..	..	..	..	..	..	14	..	..	..	..	..	107		
2.बदनावर		..	..	..	..	..	..	..	..	14	..	..	..	..	..	14		
3.इंदावाडी		..	..	..	..	..	..	..	..	14	..	..	..	..	..	14		
4.पीपलललखूंटा		..	..	..	..	..	..	..	..	14	..	..	..	..	..	14		
	योग . .	93	..	..	....	..	..	..	..	56	..	..	..	..	..	149		

आदिम जाति कल्याण विभाग

योजनावार/परियोजनावार विशेष केन्द्रीय सहायता

का आबंटन, प्रथम चार माह का

(1-4-91 से 31-7-91)

मांग संख्या-41

विभाग--36 मछली पालन विभाग (राशि हजारों में)

1. आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण इन्दौर

क्रमांक	परियोजना का नाम	योजना का क्रमांक एवं नाम लेखा शीर्ष 2405 1450 जलाशयों तथा नदियों में मत्स्योद्योग का विकास
1	2	3
1.	झाबुआ	100
2.	धार	33
3.	खरगोन	33
	योग. .	166

आदिम जाति कल्याण विभाग

विशेष केन्द्रीय सहायता मद से प्राथमिकवार/जिलेवार

एवं विभागवार आवंटन की स्थिति-प्रथम चार माह के लिये

(1-4-91 से 31-7-91 तक)

मांग संख्या-64

आदिम जाति/अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण इन्दौर (राशि हजारों में)

क्र.	विभाग का	योजना का नाम	लेखा शीर्ष	यो. क्र.	जिले का नाम					
					झाबुआ	खरगोन	धार	खंडवा	इन्दौर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	लो. स्वा. एवं परिवार कल्याण	गंदी बस्तियों में चलित औषधालयों की स्थापना	2210	1100	95	95	95	190	95	570
2.	मत्स्योद्योग	जलाशयों तथा नदियों में मत्स्योद्योग का विकास	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	नगरीय कल्याण	ढुलार योजना	4217	4962 4964 5140	–	–	–	–	666	666
4.	हरिजन विकास	कृषि विकास कार्यक्रम	2225	906	25	143	64	107	189	528
		अस्वच्छ धंधों का व्यवसायीकरण	2225	4671	15	64	28	48	85	240
		स्वरोजगार योजना	2225	4675	29	203	90	151	269	742
		विमुक्त जाति को रोजगार सहायता	2225	4049	–	31	17	23	42	113
		अस्वच्छ धंधों में लगे लोगों को रोजगार सहायता	2225	328	15	64	29	48	85	241
		विमुक्त/घुम्मकड़ जातियों का विकास	2225	4049	9	15	7	11	22	64
		हरिजनों को सहायता योजना	2225	4719	4	26	11	23	34	98
		योग. .			192	641	341	601	1487	3262

आदिम जाति कल्याण विभाग

योजनावार/प्राधिकरण/परियोजना/माडा पाकेटवार विशेष केन्द्रीय सहायता

का आबंटन, प्रथम चार माह का

(1-4-91 से 31-7-91 तक)

मांग संख्या-41

विभाग--34- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (राशि हजारों में)

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण इन्दौर

क्रमांक	परियोजना का नाम	योजना का क्रमांक एवं नाम लेखा शीर्ष 2215 योजना क्र. 4379 समस्या मूलक गांवों में पेयजल पूर्ति
अ- परियोजना		
1.	कुक्षी	444
योग- परियोजना		444
ब. माडा पाकेट		
1.	महू	111
योग- माडा पाकेट		111
महायोग- (अ+ब)		555

आदिम जाति कल्याण विभाग

योजना/प्राधिकरण/परियोजनावार विशेष केन्द्रीय सहायता

का आबंटन, प्रथम चार माह का

(1-4-91 से 31-7-91 तक)

मांग संख्या-41

विभाग-31- सिंचाई विभाग (लघु सिंचाई) (राशि हजारों में)

1. आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण इन्दौर

क्रमांक	परियोजना का नाम	योजना का क्रमांक एवं नाम लेखा शीर्ष 4702 योजना का क्रमांक 3824 — लघु सिंचाई लघुत्तम सिंचाई
1	2	3
1.	झाबुआ	1387
2.	अलिराजपुर	1947
3.	धार	560
4.	कुक्षी	5787
5.	बड़वानी	640
6.	खरगोन	800
7.	सेंधवा	160
8.	खण्डवा	13
	योग. .	11294